3.00 P.M.

SHRI H. HANUMANTHAPPA :When there is quality, when there is a need for such type of a Bill, when several Members, including legal luminaries, have welcomed it, why shouldn't the Government accept his Bill? ..*(Interruptions)*... The Minister himself said that it is a good Bill ; and all the Members have welcomed it. Then, he can take note of it, under the rules. Why couldn't he accept the Bill?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Mr.Hanumanthappa, some amendments have also come. We will have another opportunity to discuss it more elaborately. Therefore, I request you not to insist on it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The question is . Does the hon. Member have the leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Hon. Member, Mr. Eduardo Faleiro, was not here when he was called since we sat a few minutes earlier. Does he have the leave of the House to move his Bill? Yes. Now, Mr. Eduardo Faleiro.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES ORDERS) (AMENDMENT) BILL, 1999

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): I am a new Member. I thought it was 3 o'clock. In the other House, it is 3 o'clock. I thank you very much for this indulgence.

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribe), 1950 so as to provide for the inclusion of Gawda, Kumbi, Velip and Dhangar Communities in the list of Scheduled Tribes specified in relation to the State of Goa.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, we shall take up the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 1997. Shri Dave.

THE CIGARETTES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1997

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 की परिधि में गुटका और खैनी जैसे अन्य तम्बाकू उत्पादों को सम्मिलित करके उसका संशोधन करने तथा उसके क्षेत्र में विस्तार करने तथा उससे संबंधित विषयों संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में एक ऐसा बिल ला रहा हूं जिसमें सारे समाज का, सारे देश के स्वास्थ्य का सवाल है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]

जब तक लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो पाएगी । जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं वैसी तरक्की नहीं हो पाएगी । इसी वजह से यह बिल, जो सिगरेट, खैनी, जर्दा पर मैं ला रहा हूं, इसे लाना मैंने आवश्यक समझा । कई साल से इस सदन में मैं यह सवाल उठाता रहा हूं, मैंने स्पेशल मेंशन किया, जब हमारी माननीया रेणुका चौधरी जी मंत्री थीं, मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि सिगरेट पर प्रतिबंध होना चाहिए । लेकिन जो सिगरेट पर लेवी है वह इतनी पावरफुल है कि हमारे देश में इसे कोई रोक नहीं सकता । छोटे-छोटे गांवों में सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, पान-मसाला, गुटका आदि की वजह से सारी दुनिया में एक माहौल घर कर गया है । डब्ल्यू.टी.ओ. ने भी इस पर प्रश्न किया । जबकि परिणाम यह है कि हर साल एक लाख लोग कैंसर से हमारे देश में मरते हैं । इसकी सीधी वजह यह खैनी, गुटका और सिगरेट है । हमारी सरकार इसके पीछे करोड़ों रुपया खर्च करती है । गांवों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता कि यह सब क्या चीजें हैं लेकिन जब कैंसर होता है, उनको बड़े-बड़े अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है जो उसने पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है । कई और सरकारें भी ऐसा ही कर रही हैं और पब्लिक आफिसेज में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिगरेट पीने पर, गुटका खाने पर प्रतिबंध है । इस बारे में यह सब कुछ हुआ है लेकिन अभी इस विषय पर बहुत कुछ करना बाकी है